खण्ड-8 संख्या-25

दशम
बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

वृहस्पतिवार तिथि 30 जुलाई, 1992 ई०।

सत्यमेव जयते

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्यः

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- महोदय, माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण में दस्तखत तक नहीं है। ये अलग से उठावे। शून्य काल या जैसे हो.........

(व्यवधान).

अध्यक्ष :- माननीय सदस्यों को इस्तीफा देने की बात नहीं करनी चाहिए। इस्तीफा देने की बात समझ बुझकर होती है। इस्तीफा खुदकशी नहीं है। खुदकशी बिना समझे बूझे नहीं की जाती है, लेकिन इस्तीफा..............

(ख) ऋणधारियों के विरूद्ध वारन्ट रद्द करनाः

श्री रामदेव वर्मा :- चुनावी वादों के अनुसार राज्य में वैसे तमाम व्यक्ति जिन्होंने 1989 ई० तक दस हजार रुपये तक ऋण ली है, उनके ऋणों को सरकार द्वारा माफ कर देने की घोषणा के तहत् मात्र सहयोग समितियों के द्वारा ली गई ऋण ही माफ हुए हैं। इसमें भी एक वर्ष का ऋण नहीं माफ किया गया है। भूमि बंधक बैंक के वैसे ऋणधारियों का ऋण माफ नहीं किया गया जिन्होंने 1985 ई० तक आवश्यक किस्त अदायगी की है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वालों का ऋण भी माफ नहीं किया गया है। गत तीन वर्षो से एक तरफ इस तरह के ऋणधारियों पर नोटिश, समन एवं वारंट निर्गत किए जा रहे है। राज्य में गत तीन वर्षो के अन्दर ऋण मुहैया करने वाली संस्थाएं द्वारा इस मद में पूंजी निवेश एक हद तक रोक दी है। राज्य के विकास के लिए राज्य में ऋण लेने और लौटाने का वातावरण कायस करना तत्क़ाल अतिआवश्यक है। इस परिस्थिति

में सरकार को अपने वादे के संबंध में तत्काल स्पष्ट रूख का इजहार करना होगा।

अतः इस संबंध में हम सरकार का ध्यानाकर्षित करते हैं कि यह सभी वारंट जो ऋणधारियों के विरूद्ध है रद्द करे।

श्री रामदेव सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह वित्त विभाग से संबंधित है, लेकिन इसका 75 प्रतिशत अंश हमारे विभाग से संबंधित है, इसलिए हम इसका जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऋण राहत योजना, 1990 मूल्तः भारत सरकार की योजना थी। इसे राज्य सरकार ने अंगीकृत किया था। यह योजना 15 जून 1990 को लागू हुई और 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुई। इस योजना के निम्नांकित ऋण राहत के मुख्य प्रावधान थे:-

(1) 2.10.86 तक के सूद सहित दस हजार रुपये तक के अतिदेय ऋण को माफ कर दिया गया।

(2) 3.10.86 से 2.10.89 तक की अवधि की सूद सहित 10 हजार तक की अतिदेय ऋण निम्नांकित शर्त्तो पर माफ किया गया:-

(क) इस अवधि में किन्ही दो फसल वर्ष की फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हो गई हो,

(ख) खराब फसल का प्रमाण -पत्र संबंधित जिला पदाधिकारी /अंचल पदाधि कारी से 31.3.91 के पुर्व प्राप्त हो,

(ग) इस हेतु गठित प्रखंड स्तरीय बैंकर्स कमिटी द्वारा राहत के दावे पारित हो,

(घ) 31.3.92 तक ऋण माफी के दावे को विहित प्रपत्र में नवार्ड को प्रस्तुत कर दिये गये हो,

(2) इस योजना के तहत कुल माफी की गई राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार को वहन करना था और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार को । परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपने साधन स्त्रोत से इस वित्तीय भार को वहन कर सकती । अतः विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह राशि नवार्ड से कर्ज के रूप में उपलब्ध करायी गयी। इस राशि को राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत सूद के साथ तीन वर्षो के अन्तर्गत ही लौटाना है। इस मद में राज्य सरकार पर 300 करोड़ से भी अधिक का वित्तीय बोझ है।

(3) उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इस योजना का लाभ 31.3.92 तक ही उपलब्ध था जो इस तिथि के बाद बच गये उन्हें इस योजना का लाभ किसी भी परिस्थिति में नहीं मिल सकता है। इसके लिये न तो भारत सरकार तैयार है और न नवार्ड ही।

(4). इस योजना के तहत कुल 519-73 करोड़ की माफी की गई जिसमें नवार्ड

से 274-74 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है और शेष 244-984 करोड़ का दावा अभी भी नाबार्ड की स्वीकृति हेतु लम्बित है............

(व्यवधान)

श्री रमेन्द्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था है। सरकार ने घोषण किया कि 10 हजार रुपये तक के ऋण को माफ कर देंगे लेकिन आज तक वह माफ नहीं हुआ ....

अध्यक्ष :- माननीय मंत्री वही जवाब दे रहे हैं..............

श्री रमेन्द्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार उसी बिन्दु का जवाब दे जो कर्ज माफी करने से संबंधित है लेकिन.माननीय मंत्री भुसखौल विद्यार्थी का बस्ता मोटा जैसा जवाब दे रहे हैं।

श्री चन्द मोहन राय :- अध्यक्ष महोदय, कहीं भी ऋण की माफी नहीं हुई है और ये फिर शर्त्त की बात कहां से आ गई?

श्री रामदेव सिंह यादव :- माननीय सदस्य, पहले तो आपलोग जवाब तो सुन लीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष :- माननीय मंत्री ने कहा कि 2.10.86 तक का 221 करोड़ रुपये का

कर्ज माफी कर दिया गया है.................

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी तिवारी :- अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसी सदन में घोषण की थी कि कर्ज वसूली के मामले में धांधली का जब सवाल उठा था तो उस पर सरकार ने जवाब दिया और आपका नियमन भी हुआ था। विगत ढाई वर्षों में मुख्यमंत्री ने 6 से ज्यादा असत्य घोषणा की है, यह सरकार बेशर्म है और सब लोगों को छलवा दे रही है। 2 अक्टूबर 89 तक के सारे कर्ज जो 10 हजार तक का होगा, वह माफ करने को घोषण की गई, वह कहीं नहीं हुआ?

(व्यवधान)

श्री लालचन्द महतो :- अध्यक्ष महोदय, ऋण की कहीं माफी नहीं हुई है; आप इसकी जाँच करवा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री युगेश्वर झा :- अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घोषणा तो कर दी कि 10 हजार रुपये तक के ऋण को माफ कर दी जायेगी, लेकिन बिहार सरकार ने बैंक को पैसा नहीं दिया तो घोषणा करने से क्या होगा? जब तक बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तब तक कर्ज की माफी कैसे होगी?

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्य:

(व्यवधान)

अध्यक्ष :- शांति-शांति । माननीय मंत्री, कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि 2.10.89 तक का 10 हजार रुपये तक का जो ऋण माफ करना था, वह माफ नहीं हुआ है। सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि 2.10.86 तक का 221 करोड़ रुपया ऋण माफ कर दिया गया है। 2.10.86 से 2.10.89 तक के ऋण तीन शर्तों के साथ माफ करने की बात हुई है............

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ऋण के संबंध में सरकार रोज-रोज घोषणा करती है, लेकिन इसको लागू नहीं कर रही है। ये विधान सभा को गुमराह करते हैं एवं सदन में झुठी घोषणा करते हैं। सरकार ने इसी सदन में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 10 हजार रुपये से नीचे तक के ऋण को माफ कर देंगे, लेकिन अभी तक माफ नहीं किया जा रहा है।

श्री रामाश्रय सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह कितनी शर्म की बात है कि राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं ने घोषणा किया, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में कहा है, लेकिन इन सारी बातों से सरकार बिल्कुल इन्कार कर रही है। इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती है। इसलिये सरकार अपने वादे के अनुसार अक्टूबर, 89 तक का सभी तरह का कर्ज 10 हजार रुपये से नीचे तक का माफ करे और बिना शर्त्त माफ करने की घोषण सरकार ने की थी, वह करे।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्य:

(व्यवधान)

श्री शकुनी चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला के रामदेव बाबू एक ऐसे दबंग मंत्री हैं जो एक मिनट में घोषणा को लागू करने में सक्षम हैं। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, जब राज्य के मुख्यमंत्री ने हाउस में घोषणा कर दिया है तो ऐसी हालत में रामदेव बाबू को डिसीजन लेने का अधिकार है। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि हाउस में आप घोष्णा कर दें।

श्री शिवाधार पासवान :- अध्यक्ष महोदय, दस हजार रुपये माफ करने की घोषणा सदन में हुई और उसको लागू करने का पत्र भी निर्गत हुआ। उसके मुताबिक स्थिति स्पष्ट था कि 89 तक ऋण माफ कर दिया गया है लेकिन आज इन घोषणओं के बावजूद वसूली की कार्रवाई की जा रही है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो रही है, उसको रोकने के लिए आप कार्रवाई करें.. ....

श्री रणवीर यादव :- अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला में 1986 से 90 के बीच लगातार प्राकृतिक विपदा आती रही है और खगड़िया के किसान, मजदूर भाग रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। सरकार ने 89 तक ऋण माफ करने की घोषणा की थी लेकिन फिर भी ऋण वसूली की कार्रवाई खगड़िया में चल रही है। सलिए अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि तत्काल वसूली बन्द करें।

(व्यवधान)

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकार का वक्तव्य:

श्री रामदेव सिंह यादव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि पहले मेरी पूरी बात सुन लें............

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात नहीं सुनी गयी और बीच में ही हँगामा खड़ा कर दिया गया। मैं अपनी पूरी बात कह देता हूँ उसके बाद जिनको जो बोलना होगा, बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष :- शांति-शांति।

श्री राजीव प्रताप सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पछिले वर्ष माननीय सदस्य श्री विजय बाबू ने इसी विषय पर अल्पसूचित प्रश्न उठाया था जिसपर आपका नियमन हुआ था कि कर्ज की वसूली बन्द रहेगी और दूसरा था कि 89 तक कर्ज की माफी कर दी जायेगी।

अध्यक्ष :- माननीय सदस्य श्री विनायक बाबू उत्तेजित होकर अपनी बात कह रहे थे तो मैंने उठकर कहा कि जबरन कर्ज वसूली और कुर्की जब्ती के सारे मामले बन्द रहेंगे।

(व्यवधान)

शांति-शांति । पहले आप मंत्री जी का पूरा पक्ष सुन लीजिए।

श्री रामदेव सिंह यादव :- अध्यक्ष महोदय, ऋण राहत योजना 1990 मूलतः भारत सरकार की योजना थी। इसे राज्य सरकार ने अंगीकृत किया था। यह योजना 15 जून, 1990 को लागू हुई और 31 मार्च, 91 के समाप्त हुई। इस योजना में निम्नांकित ऋण राहत के मुख्य प्रावधान थे।

(1) दिनांक 2.10.86 तक के सूद सहित दस हजार रुपये तक के अतिदेय ऋण को माफ कर दिया गया।

(2) दिनांक 2.10.86 से 2.10.89 तक की अवधि की सूद सहित दस हजार तक को अतिदेय ऋण निम्नांकित शर्तों पर माफ किया गया ....
...

(व्यवधान)

अध्यक्ष :- शांति-शांति। मैं इस ध्यानाकर्षण को कल तक के लिए स्थगित करता हूँ। मैं चाहूँगा कि कल मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री इसका जबाब दें।

(व्यवधान)

श्री रामदेव सिंह यादव :- हमसे बढ़िया जवाब कोई नहीं दे सकता है।

अध्यक्षीय 'घोषणाः

अध्यक्ष :- अगर सभा की सहमति हो तो कल 10 बजे दिन से सभा की बैठक हो। 10 बजे दिन से ध्यानाकर्षण लिया जायेगा।

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कल शुक्रवार है और गैर सरकारी संकल्प कल है इसलिए 9 बजे दिन से ही सभा की बैठक बुलायी जाय।

अध्यक्ष :- ठीक है । अगर सभा की सहमति हो तो कल 9 बजे पूर्वाह्न से सभा की बैठक हो।

(सभा की सहमति हुई)

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण तथा उसपर सरकार का वक्तव्यः

(ग)जमीन पर कब्जा दिलाने के संबंध में :

डा0 शकील अहमद :- अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत सुल्तानगंज थाना के संदलपुर के श्री सुल्तान अहमद, जो एक अल्पसंख्यक जाति के हैं, को प्लौट सं०-2127 खाता नं०- 894 को जमीन पर पटना नगर निगम द्वारा जबरन जिला क्वार्टर का तीन ब्लौक बना लिया गया है और इस प्लौट में स्थित पेड़ भी जबरन नगर निगम द्वारा काट लिया गया है। इस संबंध में श्री